

TENDER SPECIFICATION NO. 03-02/SLDC/LT-151/  
DATE OF OPENING – 01.09.2020 AT 15.30 HRS.

*Tender Document Cost Rs. 500/-*

(Excluding GST @ 12% if purchased from Office)

(Excluding GST @ 18% if downloaded from Website)

Tender for Hiring of Maruti Dzire, Hyundai I 20, Hyundai Xcent, Honda  
Amaze, Toyota Etios, Tata Zest, Ford Aspire and or EQUIVALENT  
(A.C.) for One year  
(Preference will be given to auto transmission vehicle)

**Issued to**

M/s -----  
-----  
-----  
-----  
-----

Encl : Documents 10 pages

  
**Executive Engineer (O)**  
**O/o Executive Director (SLDC)**  
**CSPTCL, RAIPUR**

**CPTCL**

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

CIN - U40108CT2003SGC015820

**CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION  
COMPANY LIMITED**

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित

(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

**CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE:  
RAIPUR**

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर

दूरभाष PHONE : 0771- 2574172, फैक्स FAX NO. 0771-2574174.

Web Site : [www.sldccg.com](http://www.sldccg.com), email- [csebsldc@sldccg.com](mailto:csebsldc@sldccg.com)

क0 03-02/कय/ 709

रायपुर, दिनांक

11 AUG 2020

// निविदा आमंत्रण सूचना //

\*1 नग ए.सी.कार श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध हेतु\*

कार्यपालक निदेशक (भार प्रेषण), के लिए वाहन चालक सहित 1 नग ए.सी.कार श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध (01 वर्ष) हेतु पंजीकृत/ उपयुक्त ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

निविदा प्रपत्र कय करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	निविदाओं को खोलने की निर्धारित तिथि व समय
दिनांक 31.08.2020 समय 17:00 बजे तक	दिनांक 01.09.2020 समय 15:00 बजे तक	दिनांक 01.09.2020 समय 15:30 बजे

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट [www.sldccg.com](http://www.sldccg.com) से डाउनलोड की जा सकती है ।

अधीक्षण अभियंता (एम.ओ.)  
कार्या0 कार्यपालक निदेशक (भा.प्रे.)

छ.ग.स्टेटोपाोट्रांसमिशन लि०, रायपुर

 <p>CIN - U40108CT2003SGC015820</p>	<p><b>CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED</b>  छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित  (C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)  <b>CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR</b>  छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर</p> <p><b>दूरभाष PHONE : 0771- 2574172, फैक्स FAX NO. 0771-2574174.</b></p> <p>Web Site : <a href="http://www.sldccg.com">www.sldccg.com</a>, email- <a href="mailto:csebsldc@sldccg.com">csebsldc@sldccg.com</a></p>
--	---

NO. 03-02/LT-151/ 709

Raipur, Dated: 1 AUG 2020

प्रति,  
मेसर्स-----  
-----  
-----

विषय:- एक वर्ष की अवधि के लिए ए.सी. कार (Maruti Dzire, Hyundai I 20, Hyundai Xcent, Honda Amaze, Toyota Etios, Tata Zest, Ford Aspire and or EQUIVALENT (A.C.)) किराये पर लेने हेतु निविदा।

महोदय,

कार्यपालक निदेशक (भा.प्रे.) के लिए वाहन चालक सहित 1 नग ए.सी. कार श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध (एक वर्ष) हेतु पंजीकृत/उपयुक्त ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-


क्र.	विवरण	संख्या	निविदा का मूल्य	बयाना राशि
1.	कार्यपालक निदेशक के लिए वाहन चालक सहित 1 नग ए.सी. कार श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध (एक वर्ष) हेतु (एक कार श्रेणी निविदा अनुसार)	1 नग	रु. 500/- + (12 प्रतिशत जीएसटी if purchased from Office) + 18 प्रतिशत जीएसटी if downloaded from Website) (वापसी योग्य नहीं)	रु. 5000/- वापसी योग्य
अ	निविदा कय करने की अंतिम तिथि व समय		दिनांक 31.08.2020 समय 17:00 बजे तक	
ब	निविदा प्रस्तुत जमा करने की तिथि व समय		दिनांक 01.09.2020 समय 15:00 बजे तक	
स	निविदा खोलने की तिथि व समय		दिनांक 01.09.2020 समय 15:30 बजे तक	

नियम एवं शर्तें:-

- इच्छुक ठेकेदार उपरोक्त निविदा प्रपत्र का कय कार्यपालक निदेशक (भा.प्रे.), छ.ग. स्टे0पा0ट्रॉ0कं0लि0.रायपुर के कार्यालय से उपरोक्त तिथि तक निविदा मूल्य रु. 500/- (Excluding GST @ 12% if purchased from Office)/ (Excluding GST @ 18% if downloaded from Website) तथा डाक से मंगवाये जाने पर रु. 100/- अतिरिक्त राशि (वापसी योग्य नहीं) केवल डी.डी./स्थानीय बैंकर्स

चेक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जो **Manager (RAO-HQ), CSPTCL, RAIPUR** को देय हो ।

- 2 नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी ।
- 3 निविदा एवं कार्य संबंधी जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र कय करने की अंतिम तिथि तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
- 4 उक्त अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध हेतु प्रस्तावित ए.सी. कार श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के निविदा खोलने की तिथि पर पांच वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिये व वाहन कुल 100000 कि०मी० से अधिक की दूरी तय न की हो ।
- 5 निविदाकर्ता को श्रम आयुक्त, छ.ग.शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित दरों पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत वाहन चालक को भुगतान सुनिश्चित करना होगा ।
- 6 निविदाकर्ता का कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एवं कर्मचारी राज्य बीमा आयोग (ESIC) में पंजीयन होना आवश्यक है तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं अन्य आवश्यक भुगतान जो की वाहन चालक का वेतन वर्तमान दर पर बैंक में हस्तान्तरण कर एवं EPF, ESIC, बोनस इत्यादि का भुगतान करना अनिवार्य होगा । सभी भुगतान बैंक के माध्यम से करना होगा ।
- 7 वाहन चालक के वेतन से ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एवं बोनस को समय समय पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार पुर्नरीक्षित किया जायेगा।(संलग्न परिशिष्ट-4 )
- 8 आदेशित कार्यावधि के दौरान ईंधन के मूल्य में कमी/बढौतरी होने की स्थिति में पुर्नरीक्षित प्रचलित दर से किया जावेगा। (संलग्न परिशिष्ट-4 )
- 9 डाक द्वारा किसी भी प्रकार की देरी बाबत कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी ।
- 10 उपरोक्त ठेके में समय-समय पर जी०एस०टी० के सभी नियम लागू होंगे ।
- 11 निविदा उपरोक्त नियत तिथि में निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी ।
- 12 निविदाकार के प्रतिनिधियों को अपना अधिकृत प्रमाण पत्र निविदा खोलने के पूर्व जमा करना आवश्यक है, अन्यथा निविदा खोलते समय वे कक्ष में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- 13 कार्य एवं निविदाकारों की अर्हता हेतु विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र में उल्लेखित हैं ।
- 14 निविदा से संबंधित किसी भी परिवर्तन की स्थिति में विभागीय वेबसाईट [www.sldccg.com](http://www.sldccg.com) से सूचना दी जायेगी ।

  
 कार्यपालन अभियंता (कार्या.)  
 कार्या० कार्यपालक निदेशक (भा.प्रे.)  
 छ.ग.स्टे०पा०ट्रां०कं०लि०., रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट [www.sldccg.com](http://www.sldccg.com) में उपलब्ध ।
2. सूचना फलक ।

## परिशिष्ट—एक

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, रायपुर को एक नग ए.सी. (Maruti Dzire, Hyundai I 20, Hyundai Xcent, Honda Amaze, Toyota Etios, Tata Zest, Ford Aspire and or EQUIVALENT (A.C.) वाहन की एक वर्ष के लिये आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों एवं ट्रेवलिंग एजेंसी से बिन्दुवार मुहरबंद भावपत्र केवल परिशिष्ट—तीन के साथ में दिनांक 01.09.2020 तक आमंत्रित किये जाते हैं। सामान्य शर्तें परिशिष्ट—दो में उल्लेखित हैं।

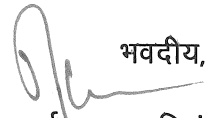
### नियम एवं शर्तें :-

- निविदा दस्तावेज दिनांक 31.08.2020 तक संध्या 5.00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे एवं अगले कार्य दिवस अर्थात् दिनांक 01.09.2020 को सायं 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोले जायेंगे। निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
- वाहन का उपयोग राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा रायपुर शहर अथवा छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पर भी किया जावेगा। वाहन का उपयोग वाहन लगाने की तिथि अथवा अनुबंध की तिथि, से एक वर्ष के लिये किया जावेगा।
- कंपनी के हित में किसी भी कोटेशन को या सभी कोटेशन को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है, चाहे वह न्यूनतम दर हो अथवा न हो। उक्त हेतु कारण बताना कंपनी के लिये आवश्यक नहीं होगा।
- वाहन किराये पर लिये जाने की दरें एवं वाहन का प्रकार, मेक, माडल, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन का किराया प्रतिमाह 1000 कि.मी. तक तथा 1000 कि.मी. से अधिक एवं 1000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर निर्धारित परिशिष्ट—तीन में ही भरें।
- जिन वाहन मालिकों/ठेकेदारों द्वारा नवीन वाहन खरीदकर किराये हेतु कंपनी में लगाना है वह कृपया परिशिष्ट—तीन में नवीन वाहन खरीदना स्पष्टतः दर्शायें तथा इस कार्यालय में किराये हेतु प्रस्तुत कोटेशन के साथ कंपनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा खरीदने का साक्ष्य संलग्न करें। वाहन स्वामी रजिस्ट्रेशन (टेक्सी कोटा में) एवं इन्श्योरेंस की फोटोकापी अपने कोटेशन के साथ नशती करें।
- (अ) निविदा के साथ वाहन के लिए अमानत राशि (EMD) के रूप में 5000 /- (पाँच हजार रु.) मात्र का मांग-पत्र अथवा पे-आर्डर जो कि **Manager (RAO-HQ), CSPTCL, RAIPUR** के पक्ष में देय हो, पृथक से लिफाफे में संलग्न करना आवश्यक है। अमानत राशि (EMD) के अभाव में कोटेशन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।  
(ब) निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता अपने हस्ताक्षर कर एक अन्य लिफाफे में परिशिष्ट तीन के साथ विधिवत भरकर अमानत राशि (EMD) तथा दस्तावेजों के पृथक-पृथक लिफाफे को एक तीसरे लिफाफे में जिसके उपरी भाग पर निविदा क्रमांक एवं निविदा खुलने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में नियत तिथि अर्थात् **01-09-2020** सायं 3.00 बजे तक जमा कर सकते हैं।  
(स) निविदा खोलने के उपरांत न्यूनतम दर प्रदाता वाहन मालिक को 07 दिवस के भीतर वाहन को निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निरीक्षणोपरांत स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किया जावेगा। वाहन मालिक/ठेकेदार को किराये हेतु कंपनी से अनुबंध करने अथवा गाड़ी लगाने से पूर्व सालाना देय राशि का या आदेशित राशि का 10 प्रतिशत राशि नगद या डीडी/बैंकर्स चेक सुरक्षा निधि के रूप में (जिस पर ब्याज देय नहीं होगा) कंपनी के खाते में जमा करना

होगा जो अनुबंध अवधि पूर्ण होने के उपरांत समायोजन कर वापसी के योग्य होगी । अनुबंध करने के दौरान वाहन मालिक एवं ठेकेदार द्वारा टेक्सी कोटा के रजिस्ट्रेशन एवं इन्श्योरेंस की मूलप्रति का इस कार्यालय में अवलोकन कराने हेतु छायाप्रति अनुबंध के साथ नशती करें। सुरक्षा निधि वाहन मालिक/ठेकेदार द्वारा आवेदन करने पर पहले तीन बिलों से समान किश्तों में भी काटी जा सकती है।

(द) वाहन मालिक/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोटेशन पर अपना सही पता टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर स्पष्ट लिखें ताकि कंपनी द्वारा आपसे पत्राचार किया जा सके। गलत अथवा अपूर्ण पता होने के कारण भेजे गये पत्र एवं सूचना न मिलने पर कंपनी उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

7. वाहन किराये पर लेने संबंधी अन्य सामान्य शर्तें **परिशिष्ट-दो** में संलग्न है।
8. आदेशित कार्यावधि के दौरान ईंधन के मूल्य में कमी/बढ़ौतरी होने की स्थिति में दर को भी पुनरीक्षित किया जा सकेगा, जिसका सर्वाधिकार कंपनी के पास सुरक्षित होगा।
9. कंपनी को यह अधिकार होगा किसी भी परिस्थिति में निविदा खोलने संबंधी कार्यवाही आवश्यकतानुसार रद्द (निरस्त) की जा सकती है एवं कंपनी द्वारा इस पर पुनः कार्यवाही की जा सकती है ।
10. संचार व्यवस्था में अपरिहार्य कारणों से हुए विलंब का कंपनी उत्तरदायी नहीं होगा ।
11. वाहन चालक द्वारा कार्य पर अनुपस्थित रहने की दशा में प्रतिदिन रु. 300/- की कटौती बिल में से की जावेगी व कंपनी इस बात के लिये स्वतंत्र रहेगा कि वाहन किसी सक्षम वाहन चालक जिसके पास वैध ड्राइविंग लायसेंस हो, से वाहन चलवा सके ।
12. निविदाकर्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर (सील सहित) कर निविदा के साथ इस कार्यालय से जारी मूल प्रपत्र में ही भरकर जमा करें ।
13. वाहन स्वयं निविदाकर्ता का नहीं होने की स्थिति में वास्तविक वाहन मालिक द्वारा "पावर आफ अटार्नी" द्वारा वाहन चलाने हेतु अधिकृत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा वाहन सेवा में नहीं लिया जावेगा एवं निविदा रद्द कर दी जावेगी तथा जमा की गई सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।
14. अनुबंधित वाहन को एक माह की सूचना पश्चात अनुबंध समाप्त करने हेतु कंपनी एवं वाहन मालिक पूर्णरूपेण सक्षम है, जिसके लिये किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
15. सभी अन्य लगने वाले कर दरों में शामिल होंगे तथा अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा साथ ही इसमें परिवर्तन के लिये कोई अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। GST को अलग से दर्शित करें।  
GST का शासन के नियमानुसार पालन किया जायेगा ।
16. नियमानुसार सभी देयकों से आयकर की कटौती 2.00 प्रतिशत की दर से की जायेगी, जिसे वित्तीय वर्षान्त पश्चात अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त कटौती का टी.डी.एस. प्रपत्र संबंधित वित्त विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
17. वाहन छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी परिवहन विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

 भवदीय,

कार्यपालन अभियंता (कार्या.)  
कार्या. कार्यपालक निदेशक (भार प्रेषण)  
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर

## सामान्य शर्तें

- (1) वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- (2) वाहन के डीजल/पेट्रोल/आईल एवं चालक का वेतन तथा भत्ते के साथ ही साथ वाहन के मरम्मत में होने वाले संपूर्ण खर्च वाहन मालिक के द्वारा वहन किया जावेगा, इसके अलावा वाहन के कम्प्रहेंसिव बीमा, परमिट, रोड टैक्स, इत्यादि खर्च वाहन मालिक द्वारा वहन किया जावेगा। जीएसटी सर्कुलर क्र. 06.-01/जीएम/वित्त/1511 रायपुर दिनांक 01.09.2017 के अनुसार अगर फ्युल चार्ज का भुगतान कंपनी करती है तो जीएसटी 18 प्रतिशत लागू होगा या वाहन मालिक द्वारा फ्युल चार्ज का भुगतान करने पर जीएसटी 5 प्रतिशत लागू होगा या समय-समय पर शासन द्वारा घोषित नियमानुसार। जीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में चालान की कापी लगानी होगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर देयक में अंकित करना है।
- (3) आदेशित राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में ली जायेगी जो एफ.डी.आर जो कि **Manager (RAO-HQ), CSPTCL, RAIPUR** रायपुर के नाम से देय होगा या बैंक गारंटी रु. 250/- का स्टॉप पेपर में सी.एस.पी.टी.सी.एल के फर्म के अनुसार देय होगा जो अनुबंध अवधि पूर्ण होने के पश्चात कोई बकाया नहीं होने पर (No Liability) वापसी योग्य होगी। वाहन मालिक/ठेकेदार को किराये हेतु कंपनी से अनुबंध करने अथवा गाड़ी लगाने से पूर्व सालाना देय राशि का या आदेशित राशि का 10 प्रतिशत राशि नगद या डीडी/बैंकर्स चेक सुरक्षा निधि के रूप में (जिस पर ब्याज देय नहीं होगा) कंपनी के खाते में जमा करना होगा जो अनुबंध अवधि पूर्ण होने के उपरांत समायोजन कर वापसी के योग्य होगी। अनुबंध करने के दौरान वाहन मालिक एवं ठेकेदार द्वारा टेक्सी कोटा के रजिस्ट्रेशन एवं इन्श्योरेंस की मूलप्रति का इस कार्यालय में अवलोकन कराने हेतु छायाप्रति अनुबंध के साथ नस्ती करें। सुरक्षा निधि वाहन मालिक/ठेकेदार द्वारा आवेदन करने पर पहले तीन बिलो से समान किस्तों में भी काटी जा सकती है। वाहन की दरें चालक, पेट्रोल, आयल एवं अन्य व्ययों सहित दी जानी चाहिए
- (4) वाहन किराये पर लेने के पश्चात वाहन या वाहन चालक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये कंपनी जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन मरम्मत की संपूर्ण भार, वाहन मालिक को वहन करना होगा। जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा देय नहीं होगी।
- (5) वाहन चालक का पूर्ण परिचय पत्र/फोटो एवं पूर्ण पता देना होगा, वाहन के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात ही अनुबंधित किया जावेगा।
- (6) किसी भी माह में वाहन के उपयोग में कुल 24 घंटे से अधिक समय तक व्यवधान नहीं होना चाहिए। वाहन को 24 घंटे से अधिक खराब रहने की स्थिति में वाहन मालिक को दूसरे समकक्ष वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
- (7) वाहन दुर्घटना की स्थिति में भी समकक्ष वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा वाहन अनुपलब्ध माना जायेगा एवं अनुपलब्धता के नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- (8) वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर एवं किसी भी माह में वाहन के उपयोग में कुल 24 घंटे से अधिक व्यवधान की स्थिति में वाहन के मासिक देयक से अनुपस्थित अवधि के लिए स्वीकृत समानुपाती दर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना सहित कटौती की जाएगी।
- (9) वाहन 24 घंटे कंपनी की सेवा में ही रहेगा तथा नियंत्रक अधिकारी के आदेशानुसार पार्किंग में रहेगा।

- (12)
- (10) कंपनी को यह अधिकार होगा कि आपात स्थिति में कंपनी के वाहन चालक से वाहन चलवा सके।
  - (11) चालक की अनुपस्थिति में वाहन को अनुपलब्ध माना जावेगा तथा कण्डिका (8) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
  - (12) वाहन के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
  - (13) वाहन किराये का बिल का भुगतान, बिल जमा करने के 30 दिन के अन्दर सामान्यतः कर दिया जाता है। अपरिहार्य विलंब के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगा तथा कोई अतिरिक्त शुल्क मान्य नहीं होगा।
  - (14) वाहन मालिक द्वारा वाहन चालक को पर्याप्त राशि ईंधन एवं आपात कार्य हेतु देय होगी। वाहन में समय पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
  - (15) वाहन किराये पर लेने हेतु अनुबंध पर लगने वाले टिकटों का मूल्य वाहन मालिक को वहन करना होगा।
  - (16) रास्ते में पड़ने वाले टोल टेक्स/मॉल या अन्य स्थानों पर लगने वाले पार्किंग शुल्क का भुगतान कंपनी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
  - (17) असंतोषजनक सेवा के परिपेक्ष्य में कांट्रेक्ट का रद्द करने का अधिकार कंपनी को होगा।
  - (18) वाहन का चुनाव एवं निरस्तता के लिये कंपनी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
  - (19) वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना चाहिए एवं वाहन चालक को मृदुभाषी तथा अच्छा व्यवहार/आचरण का होना चाहिए। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर वाहन मालिक को परिवहन चालक बदलकर अच्छे वाहन चालक को नियुक्त करना होगा। चालक के वैध लाइसेन्स की छायाप्रति इस कार्यालय में जमा करानी होगी।
  - (20) प्रपत्र में भरी जाने वाली दरों में सभी करों को समाहित करें (सेवा कर छोड़कर)। इस मद में शासन द्वारा करों में परिवर्तन के लिये कंपनी किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा।
  - (21) वाहन चालक को सामान्यतः प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक कर्तव्य निर्वहन करना होगा। आवश्यकता होने पर उक्त समय के अतिरिक्त नियंत्रक अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
  - (22) किसी भी माह में वाहन सिर्फ एक दिवस रखरखाव हेतु दिया जावेगा, रखरखाव के लिए वाहन किस दिन दिया जाना है, इसका निर्णय नियंत्रक/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।
  - (23) वाहन चालकों को ड्यूटी पर गणवेश (सफेद) में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं वाहन चालकों के पास मोबाइल फोन भी उपलब्ध रहना चाहिए इस मद में होने वाले खर्च को वाहन मालिक प्रस्तुत दर में समाहित करेंगे। इस मद में कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

वाहन किराये पर दिये जाने हेतु दरें

निविदा क्रमांक : 03-02/SLDC/TR-151 /

/रायपुर, दिनांक

क्र	वाहन का विवरण				वाहन का किराया		
	वाहन का प्रकार	वाहन का मेक	माडल	पंजीयन क्रमांक	1000 कि.मी. चालन के लिए प्रतिमाह दर रुपये	1000 कि.मी. से अधिक चालन के लिये दर रुपये प्रति किलोमीटर	1000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर रुपये प्रति कि.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maruti Dzire, Hyundai I 20, Hyndai Xcent, Honda Amaze, Toyota Etios, Tata Zest, Ford Aspire and or EQUIVALENT (A.C.)						

Please give the following information also

S.N.		
01	Bank Account no	
02	Name of Account Holder	
03	Bank MICR code	
04	Name of bank	
05	Address Of bank	
06	City on Bank	
07	Bank Branch	
08	Bank IFSC	
09	PAN no. (copy enclosed)	
10	Mobile no.	
11	GST no. (copy enclosed)	

GST का भुगतान अलग से नियमानुसार CSPTCL के द्वारा किया जावेगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पता

कार्यालय -

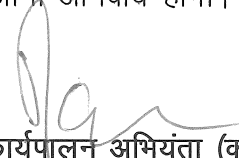
निवास

फोन कार्यालय -

निवास -

मोबाईल -

- (24) वाहन केवल निर्धारित ईंधन पर चलाना स्वीकार किया जायेगा। वाहन का चालन अन्य किसी भी वैकल्पिक ईंधन पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (25) वाहन किराये पर लेने के पश्चात वाहन या वाहन चालक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये कंपनी जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन मरम्मत की संपूर्ण भार, वाहन मालिक को वहन करना होगा। जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा देय नहीं होगी।
- (26) वाहन अतिरिक्त चालन का भुगतान प्रत्येक तीन माह के पश्चात सक्षम अधिकारी (Next higher authority) के अनुमोदन के पश्चात दिया जायेगा।
- (27) वाहन कंपनी में लगाये जाने के उपरांत पेट्रोल/डीजल/आईल आदि की दर परिवर्तन में होने पर वाहन के रेट को कटाने/बढ़ाने का अधिकार कंपनी को रहेगा।
- (28) अनुबंधित अवधि के दौरान वाहन पर "ON C.S.P.T.C.L. DUTY" अंकित करवाया जाये एवं अनुबंधित अवधि उपरांत उक्त शब्दों को हटाया जाना अनिवार्य होगा।

  
कार्यपालन अभियंता (कार्या.)  
कार्या. कार्यपालक निदेशक (भार प्रेषण)  
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या.,रायपुर

O/o CE (ETC)  
 Receipt No. 3800  
 Date 06 NOV 2019  
 DGM (IT) SE (O)  
 CE  
 Section

परिशिष्ट - चार 9

# CHHATTISGARH STATE POWER HOLDING CO.LTD

(A GOVT OF C.G. UNDERTAKING)  
 CIN No. U65993CT2008SGC020995

## ORDER

No.01-02/Veh/Revision/ 3629

Raipur, dtd. 05/11/19

In supersession of C.S. Power Holding Company Ltd. Order No. 01-02/Veh/Revision/4766 dtd. 20.12.2017 & Order No. 01-02/Car/ Revision/514 dated 08.02.2018, Chhattisgarh State Power Holding Company Ltd. is pleased to revise the ceiling of hiring charges of Car & Jeep category vehicles with one driver as follows:-

### (I) Revision of Jeep Category Vehicle-

S.N.	Particular	Existing Ceiling rate	Revised Ceiling rate
1(a)	For 1250 Km monthly run	Rs.30,000/- per month	Rs. 41,372/- per month
1(b)	For 1500 Km monthly run	Rs.31,600/- per month	Rs. 42,920/- per month
1(c)	For 2000 Km monthly run	Rs.34,600/- per month	Rs. 46,016/- per month
2	Additional charges for excess run over & above the run specified in 1(a), 1(b) & 1(c)	Rs. 8.95 per km	Rs. 6.78 per km
3	Deduction towards less run below the run specified in 1(a), 1(b) & 1(c)	Rs. 6.25 per km	Rs. 5.90 per km

### (II) Revision of Car Category Vehicle -

SN	Particulars	Existing Ceiling rate	Revised Ceiling rate
1	Category-I car	Rs.31,700/- per month	Rs. 38,600/- per month
2	Category-II car	Rs. 28,200/- per month	Rs. 36,500/- per month
3	Category-III car	Rs. 26,300/- per month	Rs. 31,500/- per month
4	Additional charges for excess run over and above 1000 km run for :- (i) Category-I car	Rs 8.95 per Km	Rs 6.97 per Km

	(ii) Category-II car (iii) Category-III car	Rs 8.45 per Km Rs 7.80 per Km	Rs 6.97 per Km Rs 6.97 per Km
5	Deduction towards less run below 1000 km run for :- (i) Category-I car (ii) Category-II car (iii) Category-III car	Rs 6.25 per Km Rs 5.85 per Km Rs 6.35 per Km	Rs 6.06 per Km Rs 6.06 per Km Rs 6.06 per Km

2 The above rates are inclusive of cost of fuel, lubricants, wages of driver, vehicle maintenance etc. but are exclusive of GST. The GST will be paid extra.

3 (i) Vehicle may be hired for a period of continuous two years at a time as per requirement.

(ii) Vehicle to be hired should meet the following criteria-

(a) Vehicle not older than 3 years having total run not exceeding 60000 Km will be hired for a period 3 years.

(b) Vehicle not older than 4 years having total run not exceeding 80000 Km will be hired for a period 2 years.

(c) Vehicle not older than 5 years having total run not exceeding 100000 Km will be hired for a period 1 year.

4 The category entitlement will be as under:-

SN	Particulars	Entitlement
1	Category-I car (Maruti Dzire, Hyundai I 20, Hyundai Xcent, Honda Amaze, Toyota Etios, Tata Zest, Ford Aspire and equivalent )	Executive Director/ Chief Engineer & equivalent
2	Category-II car (Maruti Swift, Ignis, Hyundai Grand I 10, Tata Tigor, Tata Bolt .and equivalent)	Additional Chief Engineer & equivalent
3	Category-III car (Maruti Eeco, Maruti Omni, Alto, Tata Tiago, Renault Kwid, Datsun Go and equivalent) Officers of SE & equivalent posted in field have option either to engage category-III car or jeep looking to the nature of job assigned to them	Superintending Engineer & equivalent

5 The above rates are based on:-

(a) Fuel price for petrol @ Rs.72.74 per liter and diesel @ Rs. 70.77 per liter as on 17.08.2019

(b) Driver's wage per month effective 01.04.2019 as per Notification dated 08.03.2019 of Labour Commissioner, Govt. of Chhattisgarh shall be applicable. However for Raipur, the wages of driver have been fixed as Rs.10,350/- per month.

(c) EPF @ 13.00%, ESIC @ 3.25% and Bonus @ 8.33% of the notified wage by the Labour Commissioner, Govt. of Chhattisgarh.

(d) Average fuel efficiency of vehicle has been considered as 12 Km per liter.

6 The ceiling of hire charges of Car & Jeep category vehicle for the offices located in Naxal affected areas (Annexure-I) shall be 20% more than above ceiling rates.

7 Bids for hire charges received in excess of the above-mentioned ceiling shall be rejected.

8 Revision in hiring charges of any contract signed on the basis of competitive bids will be permitted for any change in the minimum wages of driver, EPF/ESIC/Bonus rates and fuel prices with respect to, as the case may be, the driver wages, statutory payment rates and fuel price in force on the date of opening of bids as follows :-

(A) Revision (upward or downward) on account of change in the price of fuel:

83 Paise per Km for change in the price of fuel by Rs. 10 (Ten) per liter.

This revision will be allowed at the end of each of the four quarters (1<sup>st</sup> quarter of a financial year will commence from 1<sup>st</sup> April of the FY) based on the average fuel price for the relevant quarter.

The average fuel price for each quarter will be posted in the Power Companies' website by the E.D. (Finance), CSPHCL.

In the event of part quarter, i.e. the quarter in which date of commencement or conclusion of contract falls, no variation shall be allowed if part-quarter covered by the contract is less than 45 days. If the part- quarter is equal to or more than 45 days, the average fuel price posted for the quarter shall be considered for computation of claims for such part quarter.

(B) Revision on account of revision in minimum wage of driver:

Additional payment due to revision in minimum wages

$$= \frac{(L2 - L1) \times \text{Days of run as per contract}}{\text{Number of days in the month}}$$

Where:- L1 = Monthly minimum notified wage of driver on the date of opening of tender.

L2 = Monthly minimum notified wage of driver of the month for which payment is to be made.

(C) Revision on account of EPF, ESIC and Bonus:

Additional payment =  $\frac{(L2 - L1) \times 0.2458 \times \text{Days of run as per contract}}{\text{Number of days in the month}}$

Where:- L1 = Monthly minimum notified wage of driver on the date of opening of tender

L2 = Monthly minimum notified wage of driver of the month for which payment is to be made.

The Factor 0.2458 is based on the current rates of EPF @ 13.00%, ESIC @ 3.25% and Bonus @ 8.33%, totaling to 24.58%. In case any of the rates is revised the factor will get changed accordingly.

9. The provision of Transport Allowance to the officers of the rank of Addl. Chief Engineer posted in the head office in lieu of official vehicle issued vide order No. 01-02/Car/Revision/954 dtd. 14.03.2018 shall remain unaltered. Similarly, provision for Transportation Allowance to the rank of Executive Director/Chief Engineer issued vide Order No. 01-02/Veh/1779 dtd. 21.08.2019 shall be continued as per terms and conditions mentioned therein, until further orders.

Encl: Annexure-I

*Hanish* 05/11/2019  
GENERAL MANAGER (HR)  
CSPHCL:RAIPUR

Copy forwarded to-

1. The Staff officer attached to Chairman/MD.....
2. The Special Secretary (Energy), Govt. of CG, Naya Raipur
3. The Executive Director .....
4. The Chief Engineer .....
5. The General Manager (HR)/(Fin).....
6. The Addl. Chief Engineer / AGM .....
7. The Chief Vigilance Officer.....
8. The Suptd. Engineer / DGM .....
9. The Executive Engineer / Manager/.....
10. The Sr. Accounts officer.....
11. The Asstt. Manager/R.A.O./A.O. ....
12. The Library officer, CSPDCL, Raipur

**ANNEXURE-I****LIST OF THE NAXAL AFFECTED AREAS (2016-17)**

SN	DISTRICT	NAME(S) OF NAXAL AFFECTED BLOCK
01	BASTAR- JAGDALPUR	JAGDALPUR, BASTAR, LOHANDIGUDA, TOKAPAL, DARBHA, AND BASTANAR
02	KONDAGAON	KONDAGAON, KESHKAL, FARASGAON, MAKADI, AND BADE RAJPUR
03	NARAYANPUR	NARAYANPUR, AND ORCHHA
04	DANTEWARA	DANTEWARA, GEEDAM, KUA KONDA AND KATE KALYAN
05	SUKMA	SUKMA, CHHINDGARH, AND KONTA
06	KANKER	KANKER, CHARAMA, NARHARPUR, BHANUPRATAPPUR, DURGUKONDAL, ANTAGARH, AND KOYALIBEDA
07	BIJAPUR	BIJAPUR, USUR, BHOPALPATANAM AND BHAIRAMGARH
08	RAJNANDGAON	MANPUR, MOHLA, AMBAGARH CHOWKI, CHHURIYA, DONGARGARH, CHHUI KHADAN AND KHAIRAGARH
09	BALOD	BALOD, DONDI LOHARA, GURUR AND DONDI
10	KABIRDHAM	SA-LOHARA, BODLA, AND PANDARIYA
11	BALRAMPUR	BALRAMPUR, RAMCHANDRAPUR, WADRAF NAGAR, RAJPUR, SHANKARGARH AND KUSMI
12	SURAJPUR	PRATAPPUR AND ODAGI
13	JASHPUR	JASHPUR, MANORA, DULDULA, FARSABAHAR, AND BAGICHA
14	KORIA	BAIKUNTHPUR, KHADGAWA, SONHATT, MANENDRAGARH, AND JANAKPUR
15	RAIGARH	SARANGARH AND BARAMKELA
16	MAHASAMUND	SARAIPALI, AND BAGBAHARA (PARTLY)
17	DHANTARI	NAGRI AND MAGARLOAD
18	GARIYABAND	GARIYABAND, CHHURA, MAINPUR, AND DEVBHOG

*Haimoh* 05/11/2019  
GENERAL MANAGER (HR)

## CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD

## ORDER

NO.01-03/Veh/ 3101

Raipur, dt. 19 AUG 2008

In continuation to this office order No.01-03/Vehicle/FN-03/2992 dt. 11.08.2008, the monthly charges for hiring the jeeps/cars may be increased/decreased by 10% (Ten per cent) of the price hike of petrol/diesel per km. A price variation Clause of this intent may be incorporated while issuing the tender.

For example, if the price of petrol is increased by Rs.5/- (Rs.Five) per ltr, the hiring charges shall be increased by Rs.0.50 (Fifty paise) per km i.e. for a car, if hired for a monthly run of 1000 kms, the base rate will be increased by Rs.500/- per month (Rs.0.50 X1000km). For extra/less run over/below fixed monthly run, this variation in rates shall be allowed. The base price of petroleum products for price variation shall be taken as prevailing on the date of issue of this order.

Further, if the Executive Director/Chief Engineer or equivalent needs services of second driver for the hired vehicle, the same shall be allowed only after obtaining prior approval of the concerned Member.

BY ORDER,

JOINT SECRETARY (S)

CSEB: RAIPUR

Raipur, dt.

19 AUG 2008

Endt.No.01-03/Veh/ 3102

Copy forwarded to :

- 1 The Chief Engineer ( ) CSEB \_\_\_\_\_
- 2 The Director ( F&A), CSEB Raipur
- 3 The Chief Vigilance Officer, CSEB, Raipur.
- 4 The Addl. Secretary, CSEB, Raipur
- 5 The Addl.Chief Engineer.....,CSEB.....
- 6 The Chief Medical Officer, CSEB, Raipur
- 7 The Joint Secretary- PI/II/, CSEB Raipur
- 8 The Superintending Engineer,( ) CSEB, \_\_\_\_\_
- 9 The Industrial Relations Officer, CSEB, Raipur
- 10 The Chief Fire cum Security Officer, CSEB, Raipur
- 11 The Dy.Secretary( )/Sr.Ad.O, CSEB, Raipur
- 12 The Executive Engineer,( ) CSEB, \_\_\_\_\_
- 13 The Sr.Publicity Officer /Sr.Law Officer, CSEB , Raipur
- 14 The Sr Accounts Officers, CSEB \_\_\_\_\_
- 15 The Staff Officer/PS attached to Chairman/Members/Secretary
- 16 The Addl.Sr. Medical Officers, /MO, CSEB \_\_\_\_\_
- 17 The Regional Accounts Officer, CSEB \_\_\_\_\_
- 18 The Library Officer, CSEB Raipur.

DY.SECRETARY(S)-II

CSEB: RAIPUR

# CHHATTISGARH STATE POWER HOLDING COMPANY LTD.

(A Govt. of CG Undertaking)

## ORDER

Raipur, dt. 22 JUL 2013

No.01-03/Veh/1671

The erstwhile Chhattisgarh State Electricity Board vide order No. 01-03/Veh/FN-03/2992 dt. 11.08.2008 revised the rate for hiring of Jeeps & cars and issued guidelines for engaging vehicle for performing official duties. Subsequently, order No. 01-03/Veh/3101 dt. 19.08.2008 was issued for allowing price variation clause due to hike in the cost of fuel for car and jeep only. The Chhattisgarh State Power Holding Co. Ltd. vide order NO.01-03/Veh/1685 dt. 01.07.2011 revised the ceiling of hiring of jeeps & cars and issued additional guidelines for hiring of vehicle.

The CS Power Holding Co. Ltd. has now decided that the price variation clause introduced vide order No. 01-03/Veh/3101 dated 19.08.2008 regarding increase/decrease in the hiring rate in case of increase/decrease in the cost of fuel i.e. petrol/diesel be allowed for all category of hired vehicles irrespective of their category. However, the base rate of fuel for price variation shall be the date of hiring of vehicle.

It has also been decided that the ceiling rate of hiring of vehicle fixed vide order No. 01-03/Veh/1685 dt. 01.07.2011 be revised as following and shall be excluding service tax :-

(A) For Jeep Category of Vehicles (all Fig. in ₹) :-

SN	Age of vehicle from the date of purchase	For 2000 KM/ Month	For 1500 KM/ Month	For 1250 KM/ Month
1	0-1 Year	₹ 28,007.00	₹ 25,249.00	₹ 23,702.00
2	1-2 year	₹ 27,286.00	₹ 24,432.00	₹ 22,981.00
3	2-3 year	₹ 26,853.00	₹ 23,951.00	₹ 22,549.00
4	Charges for additional run		₹ 8.45 / km	
5	Deduction for less running		₹ 5.75 / km	

(B) For various category of cars (all fig. in ₹)

SN	Particulars	Age of vehicle from the date of purchase	Category-I car For ED	Category-II Car for GE & ACE / SE	Category-III car	VIP Cars
1	Hiring charges for run up to 1000 KM/ month	0-1 year	₹ 25,617/-	₹ 22,107/-	₹ 20,136/-	₹ 38,886/-
2	Hiring charges for run up to 1000 KM/ month	1-2 years	₹ 25,136/-	₹ 21,675/-	₹ 19,848/-	
3	Hiring charges for run up to 1000 KM/ month	2-3 years	₹ 24,559/-	₹ 21,386/-	₹ 19,607/-	
4	Hiring charges for run up to 1000 KM/ month	3-4 years	₹ 24,078/-	₹ 20,953/-	₹ 19,271/-	
5	Per KM charges for additional run		₹ 8.45	₹ 7.95	₹ 7.30	₹ 11.00
6	Deduction for less running		₹ 5.75	₹ 5.35	₹ 6.35	₹ 06.00

(3)

The above order shall be applicable for all the successor companies of Chhattisgarh State Electricity Board and shall be effective from the date of issue of the order.

The other terms & conditions of the order No. 01-03/Veh/2992 dt. 11.08.2008 and No. 01-03/Veh/1685 dt. 01.07.2011 shall remain unchanged.

BY ORDER,

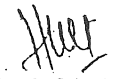
  
GENERAL MANAGER (HR)  
CSPHCL: RAIPUR

Raipur, dt. 22 JUL 2013

Endt.No.01-03/ Veh/ 1672  
Copy forwarded to :

1. The Executive Director ( ), CSP.....CL, .....
2. The Chief Engineer /GM ( ) .....
3. The OSD, Energy, Govt. of CG, Mantralaya, Raipur.
4. The Addl. Chief Engineer./AGM.....
5. The Chief Medical Officer, ....., Raipur
6. The Dy GM/ Suptd Engineer,( ) CSP...CL .....
7. The Addl. Chief Medical Officer, .....
8. The Industrial Relations Officer/PRO, CSPHCL, Raipur
9. The Chief Fire cum Security Officer/Chief Law Officer, CSPHCL, Raipur
10. The Resident Engineer, CSPHCL, New Delhi
11. The Executive Engineer ( ),-----
12. The Sr. Medical /Medical Officer .....
13. The Manager/Sr Accounts Officers, .....
14. The Asstt. Manager/RAO.....
15. The Staff Officer/PS attached to Chairman/Managing Director.....
16. The Library Officer, CSPHCL, Raipur.

Note: The CE (EITC) is requested to display this order on Board's official Website.

  
DY. GENERAL MANAGER (HR-S)  
CSPHCL: RAIPUR

SI No	Nature of Powers	Delegation		Note/Remarks
		Authority	Limit	
6.2.32.	To sanction hiring of Transformers and other equipments for Central Govt. / State Government Departments, their undertakings, public sector undertakings, local bodies, private parties, contractors etc	ED / CE	Full powers (up to 12 months) subject to observance of usual procedure	materials should ordinarily be recoverable from the contractor unless recovery of supervision charges is specifically waived/reduced by the BOD. By release of this material, the Company's work should not get affected.  By release of this material, the Company's work should not get affected For the period of hiring exceeding 12 months, approval of MD shall be required.
6.2.33.	To sanction obtaining of generators, filter machines, cranes etc on hire / loan from other organizations / private parties.	i. ED / CE	Full powers	Rate reasonability should be ensured, or On approved rate contract at field level.
6.2.34.	To obtain vehicle on hire as per norms (for which sanction is already available) from other organizations/ private parties	ii. SE at Circle	Up to Rs 25,000/-	On approved rate contract at field level.
		iii. EE at Division	Up to Rs 15,000/-	
		i. ED / CE and equivalent cadre ii. SE at Circle	Full powers Up to Rs 5 Lakhs per annum per vehicle	Rate reasonability should be ensured by following purchase procedures within prescribed limit of rates published by the

SI No	Nature of Powers	Delegation		Note/Remarks
		Authority.	Limit	
				competent authority from time to time. Subject to budget provision
6.2.35.	To sanction write off of unserviceable vehicles.	MD, in consultation with Director (Finance)	Full powers	After observing the prescribed procedures in respect of survey report.
6.2.36.	To sanction disposal of unserviceable vehicles.	MD, in consultation with Director (Finance)	Full powers	
6.2.37.	To sanction survey report / write off unserviceable stores, scrap materials, T&P and other miscellaneous items.	i) EE at Division	Up to Rs. 25,000/-	These limits apply to the book value (depreciated value) of the article or where there is no book value then estimated value. Survey report should normally be approved after expiry of the useful life, otherwise proper justification shall be recorded.
		ii) SE at Circle	Up to Rs. 50,000/-	
		iii) ED / CE in consultation with AGM (Finance)	Up to Rs. 1 Lakh	
		iv) MD in consultation with Director (Finance)	Full powers	
6.2.38.	To sanction survey report / write off unserviceable building	Chairman in consultation with MD and Director (Finance)	Full powers	Survey report should normally be approved after expiry of the useful life, otherwise proper justification shall be recorded.

(1)